



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 122-2019/Ext.] चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 22 जुलाई, 2019 (31 आषाढ़, 1941 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं।	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं।	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
1.	अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 29 / संवि० / अनु० 309 / 2019, दिनांक 22 जुलाई, 2019 —हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) द्वितीय संशोधन नियम, 2019. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	315—316
भाग IV	शुद्धि—पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

भाग-III
हरियाणा सरकार
कार्मिक विभाग
अधिसूचना

दिनांक 22 जुलाई, 2019

संख्या सांकानि० 29/संवि०/अनु०309/2019.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) द्वितीय संशोधन नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 में, नियम 11 में उपनियम (1) में मद (II) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(II) मुख्य लिखित परीक्षा:

इसमें चार प्रश्न पत्र होंगे	:	(कुल 600 अंक)
प्रश्न पत्र I :	:	अंग्रेजी (अंग्रेजी प्रस्ताव सहित) : 100 अंक
प्रश्न पत्र II :	:	हिन्दी (हिन्दी प्रस्ताव सहित) : 100 अंक (देवनागरी लिपि में)
प्रश्न पत्र III :	:	सामान्य अध्ययन : 200 अंक
प्रश्न पत्र IV :	:	23 वैकल्पिक विषयों की सूची में से चयनित किया गया एक विषय (सूची अनुबन्ध II पर)

टिप्पण:

- (i) परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र परम्परागत (निबन्ध) प्रकार का होगा।
- (ii) प्रत्येक प्रश्न पत्र की अवधि तीन घण्टे होगी।
- (iii) उम्मीदवारों को सभी प्रश्नपत्रों, भाषा या साहित्य पेपर के सिवाय, के उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी में देने का विकल्प होगा।"

केशनी आनंद अरोड़ा,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

[Authorised English Translation]

**HARYANA GOVERNMENT
PERSONNEL DEPARTMENT**

Notification

The 22nd July, 2019

No. G.S.R. 29/Const./Art. 309/2019.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Civil Service (Executive Branch) Rules, 2008, namely:—

1. These rules may be called the Haryana Civil Service (Executive Branch) Second Amendment Rules, 2019.
2. In the Haryana Civil Service (Executive Branch) Rules, 2008, in rule 11, in sub-rule (1) for item (II), the following item shall be substituted, namely:—

“(II) Main Written Examination:

It shall comprise of 4 papers	:	(Total 600 marks)
Paper I	:	English (Including English Essay)
Paper II	:	Hindi (including Hindi Essay) (in Devnagri Script)
Paper III	:	General Studies
Paper IV	:	One subject to be selected from the list of 23 optional subjects (List at Annexure II)

Note:

- (i) The question papers for the examination shall be of conventional (essay) type.
- (ii) Each paper shall be of three hours' duration.
- (iii) Candidates shall have the option to answer all the question papers, except the language or literature papers, in English or Hindi.”.

KESHNI ANAND ARORA,
Chief Secretary to Government, Haryana.